दिनांक 04/06/2022 को निदेशक, सीका(CIQA) की अध्यक्षता में सम्पन्न बैठक का कार्यवाही विवरण

दिनांक 04/06/2022 को सीका की एक बैठक निदेशक की अध्यक्षता में आयोजित हुई। इस बैठक में UGC-DEB के विनियम-2020 के प्रावधानों की समीक्षा की गई।

बैठक में उपस्थित सदस्यों का विवरण इस कार्यवाही विवरण के साथ सलंग्न है।

बैठक में व्यापक चर्चा, समीक्षा, व विचार-विमर्श के उपरान्त निम्न संतुतियॉ सर्व सम्मति से स्वीकार की गई ;

1- विनियम-2020 के अनुसार यह आवश्यक है कि सीका का अलग से कार्यालय होना चाहिए तथा एक प्रतिबद्ध (Committed) तृतीय श्रेणी कार्मिक को इस कार्यालय का प्रभारी नियत किया जाए।

2- विश्वविद्यालय में संचालित सभी पाठ्यक्रमों तथा स्वअध्ययन सामग्री में क्रेडिट व्यवस्था विनियम के अनुसार सुनिश्चित की जाए।

3- वर्तमान में सत्रीय-कार्य की जो व्यवस्था लागू है वह विनियम में वर्णित व्यवस्था के अनुरूप नही है। क्योंकि विनियम में यह स्पष्ट रूप से कहा गया है कि 2 क्रेडिट के पाठ्यक्रम के लिए 1, 4 क्रेडिट के पाठ्यक्रम के लिए 2, 6 क्रेडिट के पाठ्यक्रम के लिए 3 तथा 8 क्रेडिट के पाठ्यक्रम के लिए 4 सत्रीय-कार्य होगें।

उक्त के अतिरिक्त विनियम के अनुसार ही वर्तमान में लागू ऑनलाइन सत्रीय-कार्यों के स्थान पर पारम्परिक रूप से हस्तलिखित सत्रीय-कार्यों की व्यवस्था लागू किया जाना होगा।

4- विश्वविद्यालय के विभिन्न पाठ्यक्रमों में परामर्श सत्रों का आयोजन अनिवार्य होगा। जिन विषयों में प्रयोगात्मक कार्य होने हैं उनके घण्टे भी निर्धारित किये गये है। अत: परामर्श सत्र ऑनलाइन/ऑफलाइन दोनो रूपों में और प्रयोगात्मक कक्षाओं का आयोजन अनिवार्य हैं। यह व्यवस्था निम्न तालिकाओं के अनुरूप सुनिश्चित की जायेगी;

तालिका-1

Norms for offering Degree programmes through Open and Distance Learning mode and/or Online mode, based on credit system

S. No.	Level of the Programme	Duration of the programme	Credits
1.	Bachelor's Degree, Bachelor's Degree (Honours)	As per UGC Notification on Specification of Degree, 2014	As per UGC guidelines
2.	Master's Degree	As per UGC Notification on Specification of Degree, 2014	As per UGC guidelines
3.	Post Graduate Diploma	2 years	80

तालिका-2

Norms for delivery of courses through open and distance mode

S. No	Credit Value of the course	Size of SLMs Range (in terms of units, to be divided into blocks)	No. of Assignments	Practical Sessions	No. of Counselling Sessions Theory (10 percent of total study Hours)	Study hours of Learner
1.	2 Credits	6-10 units	1	60 hours	6 hours	60 hours
2.	4 credits	14-20 units	2	120 hours	12 hours	120 hours
3.	6 credits	20-28 units	3	180 hours	18 hours	180 hours
4.	8 credits	30-34 units	4	240 hours	24 hours	240 hours

5- अध्ययन सामग्री में ब्लाक तथा इकाईयों की संख्या भी क्रेडिट व्यवस्था के अनुरूप होगी। इसका विवरण भी उक्त तालिका संख्या-2 में दिया गया है।

6- विश्वविद्यालय में लागू सभी पाठ्यक्रमों में अधिकतम अवधि निर्धारित अवधि की दोगुनी ही होगी। उदाहरण के लिए 2 वर्ष के एम0ए0 पाठ्यक्रम को उत्तीर्ण करने के लिए अधिकतम 4 वर्ष की अवधि प्रदान की जायेगी।

7- उक्तानुसार विश्वविद्यालय के आदर्श अध्ययन केन्द्रों तथा शिक्षार्थी सहायता केन्द्रों पर नियमित रूप से परामर्श सत्रों का और प्रयोगात्मक कक्षाओं का आयोजन किया जायेगा। इस आयोजन की सूचना पहले से वेबसाइट पर प्रकाशित की जानी होगी।

8- प्रयोगात्मक या इसी प्रकार के अन्य व्यक्तिगत सम्पर्क कार्यक्रमों में शिक्षार्थियों की न्यूनतम 75 प्रतिशत उपस्थिति अनिवार्य होगी।

9- सीका के एक सदस्य डॉ देवेश मिश्र दीर्घकालीन अवकाश पर हैं तथा सीका के बढ़ते हुए कार्यों के दृष्टिगत निम्न दो शिक्षक/ अधिकारियों को सीका के सदस्य के रूप में नियुक्त किया जाना प्रस्तावित है ;

1- डॉ आशुतोष भट्ट।

2- श्रीमती प्रियंका लोहनी।

उक्त दो सदस्यों के सीका के सदस्य के रूप में नामित हो जाने से सीका के कार्यों के निर्वहन में सुविधा होगी।

10- चूँकि UGC-DEB के विनियम-2020 में बहुत से अंश हैं तथा इनमें से कुछ अलग-अलग स्थानों पर लिखे है। इसके दृष्टिगत यह अनुभव किया गया कि सीका के निम्न कार्यों को उनके सम्मुख लिखे व्यक्ति के द्वारा सम्पन्न किया जायेगा;

a- RSD
b-Functions of CIQA
c-Admissions
d- Examination
e-MPDD
f- Self-disclosure on the website
g-Process of Quality Audit (page no 84-85)
h-Monitoring of the above from 'a' to 'g'

Professor Girija Pandey
Dr. Sumit Prasad
Dr. M.M Joshi
Dr. Ashutosh Bhatt
Dr. Shalini Singh
Mr. Vineet Pauriyal
Ms. Priyanka Lohani
Dr. Gagan Singh

सभी सदस्यों के द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि विनियम-2020 के अनुसार होने वाली व्यवस्था में क्या-क्या किया जाना वांछित है।

उक्त सभी सदस्य इस प्रकार की सूची तैयार कर एक सप्ताह की अवधि में निदेशक सीका को प्रस्तुत करेंगे।

11- विश्वविद्यालय में स्थित CISCO Lab को केवल लैब के रूप में ही संचालित किये जाने पर सहमति दी गई। इस हेतु CISCO Lab को यथाशीघ्र खाली किये जाने और उसमें केवल लैब के कार्य ही सम्पादित किये जाने पर अनुमोदन प्रदान किया गया।

12- निदेशक सीका द्वारा तीन वर्ष में एक बार SLM के Revision को अनिवार्य बताया गया। इस पर बैठक में उपस्थित सभी सदस्यों द्वारा SLM Revision पर अपनी सहमति प्रदान की गई।

13- विश्वविद्यालय की वार्षिक योजना(Annual Plan) को तैयार किये जाने की आवश्यकता पर सभी सदस्यों द्वारा विचार किया गया। इस सम्बन्ध में सभी सदस्यों द्वारा निर्णय लिया गया कि योजना बोर्ड की बैठक में वार्षिक तथा दीर्धकालिक योजनायें तैयार कर सीका को उपलब्ध करायी जांए।

14- प्रत्येक दशा में विश्वविद्यालय द्वारा किये जा रहे कार्यो के अभिलेख सुरक्षित एवं संरक्षित रखे जाए जिससे आवश्यकता पड़ने पर उन्हें उपयोग में लाया जा सके। उक्त कार्य को विश्वविद्यालय के प्रत्येक विभाग/अनुभाग द्वारा किये जाने पर सभी सदस्यों द्वारा सहमति प्रदान की गई।

15- Pre-admission counseling और Induction programme कराने को लेकर बैठक में विस्तृत चर्चा उपरान्त सभी सदस्यों ने निम्न बिन्दुओं पर सहमति प्रदान की;

क- आदर्श अध्ययन केन्दों व शिक्षार्थी सहायता केन्द्रों द्वारा Pre-admission counseling, Induction programme कराने आवश्यक होंगे साथ ही इनका रिकार्ड भी रखा जाना होगा।

ख- आदर्श अध्ययन केन्दों द्वारा या विभाग के स्तर पर परामर्श सत्रों के आयोजन में यदि किसी विषय में बाहय विशेषज्ञ की आवश्यकता होगी तो वो आवश्यकता का औचित्य प्रस्तुत कर उच्चानुमोदन प्राप्त कर उस विषय के बाहय विशेषज्ञ को बुलाया जा सकता है। इस हेतु बाहय विशेषज्ञ को दिये जाने वाला मानदेय अध्ययन केन्द्र स्थापना नियमावली में उल्लिखित दरों के अनुरूप होगा।

ग- ऐसे विषय जिनमें लगभग 70 प्रतिशत पाठ्यक्रम समान हैं में एक ही प्रश्नपत्र बनाया जा सकता है।

घ- RC(क्षेत्रीय कार्यालय) व LSC (शिक्षार्थी सहायता केन्द्रों) में संचालित पाठ्यक्रमों की पाठ्यपुस्तकों की उपलब्धता बनी रहे। उक्त हेतु एम0पी0डी0डी0 अनुभाग इसकी कार्ययोजना बनायेगा ।

ङ- विश्वविद्यालय की सभी विद्याशाखाऐं अपने स्तर से परामर्शसत्रों की अनुसूची तैयार कर आदर्श अध्ययन केन्द्र को देगीं और आदर्श अध्ययन केन्द्र ~~अपना~~ छात्र-छात्राओं में उसका प्रसार करेगें।

उक्त समस्त निर्णय सर्व सम्मति से परित कर बैठक समाप्त हुई।

07.6.22

उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय, हल्द्वानी

पत्रांक :– यू0ओ0यू0 / नैक बैठक / जून / 2022 दिनांक : 04.06.2022

उपस्थिति पत्रक

यू0जी0सी0 डेब की नियमावली 2020 के अनुरूप व्यवस्थायें सुनिश्चित करने पर चर्चा हेतु बैठक का आयोजन आज दिनांक 04.06.2022 को पूर्वाहन 11:30 बजे से निदेशक, सीका के कक्ष में किया गया।

बैठक में निम्न सदस्य उपस्थित रहे : –

क्रम संख्या	नाम	हस्ताक्षर
1	आर० सी० मिश्र	
2	गिरिजा पाण्डे	
3	एम० एम० जोशी	
4	Shalini Singh	
5	गगन सिंह	
6	दिनेश उपाध्याय	
7	Dr. Dinesh Kumar	
8	Vineet Pauriyal	
9	सुमित प्रसाद	04/6/22
10	आशुतोष कुमार भट्ट	